भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 465**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई)**

**465. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक नाम दर्ज कराने वाली महिलाओं का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत नकद प्रोत्साहन/नकद अंतरण प्राप्त कर रही महिलाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के तहत अब तक नकद अंतरण के रूप में दी गई कुल राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के तहत सरकार द्वारा अब तक आबंटित, जारी की गई और प्रयुक्त की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की शुरूआत से 10.12.2018 तक की स्‍थिति के अनुसार पंजीकृत लाभार्थियों की संख्‍या, नकद प्रोत्‍साहन राशि प्रदान करने वाले लाभार्थियों की संख्‍या और नकद प्रोत्‍साहन राशि के रूप में हस्‍तांतरित कुल राशि का वर्ष-वार और राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है ।

(ग) : राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को स्‍वीकृत/निर्मुक्‍त तथा उनके द्वारा प्रयुक्‍त राशि का वर्ष-वार और राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।** में दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-।**

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई) विषय पर श्री मो॰ नदीमुल हक द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 465 के उत्‍तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण**

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 (10.12.2018 तक) के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों की संख्‍या, नकद प्रोत्‍साहन प्राप्‍त करने वाले लाभार्थियों की संख्‍या और नकद प्रोत्‍साहन के रूप में अंतरित कुल राशि का वर्ष-वार एवं राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.****स.**  | **राज्‍य/संघ राज्‍य**  | **2017-18** | **2018-19 (10.12.2018 तक)** |
| **पंजीकृत लाभार्थियों की संख्‍या**  | **प्रोत्‍साहन प्राप्‍त करने वाले लाभार्थियों की संख्‍या**  | **कुल अंतरित राशि (रुपये लाखों में)**  | **पंजीकृत लाभार्थियों की संख्‍या**  | **प्रोत्‍साहन प्राप्‍त करने वाले लाभार्थियों की संख्‍या**  | **कुल अंतरित राशि (रुपये लाखों में)**  |
|  | अंडमान व निकोबार  | 2,112 | 1,211 | 37.24 | 597 | 1,378 | 63.11 |
|  | आंध्र प्रदेश | 2,97,735 | 1,53,099 | 4,148.68 | 2,05,462 | 2,69,878 | 11,388.78 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 836 | 38 | 0.94 | 2,867 | 2,722 | 91.31 |
|  | असम | 26,684 | 7,800 | 104.15 | 66,018 | 69,313 | 1,385.02 |
|  | बिहार | 1,32,241 | 46,,006 | 570.62 | 1,39,746 | 1,20,414 | 2,422.08 |
|  | चंडीगढ़ | 4,680 | 3,487 | 106.49 | 4,766 | 5,158 | 201.33 |
|  | छत्तीसगढ़ | 94,279 | 42,817 | 664.60 | 89,570 | 1,02,728 | 3,418.66 |
|  | दादर व नागर हवेली | 1,474 | 603 | 8.35 | 1,684 | 2,051 | 72.16 |
|  | दमन और दीव | 276 | 1 | 0.12 | 1,538 | 1,256 | 37.65 |
|  | दिल्ली | 35,755 | 11,478 | 407.89 | 32,527 | 48,353 | 1,715.52 |
|  | गोवा | 3,341 | 1,350 | 62.76 | 3,966 | 5,454 | 204.65 |
|  | गुजरात | 1,44,217 | 81,231 | 2,479.65 | 1,57,708 | 1,83,407 | 7,161.14 |
|  | हरियाणा | 91,961 | 43,126 | 1,270.74 | 1,20,597 | 1,42,814 | 5,861.10 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 41,955 | 15,306 | 442.26 | 36,509 | 52,960 | 2,004.56 |
|  | जम्मू व कश्मीर | 33,860 | 3,134 | 110.92 | 26,470 | 45,305 | 1,359.88 |
|  | झारखंड | 1,07,362 | 47,357 | 700.86 | 85,862 | 1,01,714 | 3,724.43 |
|  | कर्नाटक | 1,32,572 | 76,143 | 2,070.09 | 2,52,878 | 2,68,995 | 10,773.08 |
|  | केरल | 1,18,642 | 50,561 | 1,597.11 | 86,068 | 1,31,545 | 5,066.23 |
|  | लक्षद्वीप | 245 | 0 | 0 | 226 | 340 | 5.38 |
|  | मध्य प्रदेश | 4,32,885 | 1,82,594 | 31,78.4 | 3,76,216 | 4,42,123 | 15,386.81 |
|  | महाराष्ट्र | 2,38,807 | 1,20,326 | 3,885.88 | 2,28,450 | 2,58,717 | 10,284.30 |
|  | मणिपुर | 4,603 | 2,158 | 65.64 | 2,075 | 3,154 | 179.44 |
|  | मेघालय | 2 | 0 | 0 | 1,641 | 1,341 | 47.30 |
|  | मिजोरम | 3,762 | 650 | 8.0 | 5,510 | 7,770 | 327.06 |
|  | नागालैंड | 162 | 0 | 0 | 2,045 | 1,707 | 61.75 |
|  | ओडिशा | 7 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0.20 |
|  | पुद्दुचेरी | 2,218 | 429 | 13.67 | 3,395 | 4,337 | 168.91 |
|  | पंजाब | 68,291 | 37,797 | 786.33 | 84,861 | 1,02,104 | 4,408.32 |
|  | राजस्थान | 1,23,884 | 19,682 | 672.79 | 4,61,157 | 4,59,450 | 14,536.36 |
|  | सिक्किम | 1,758 | 304 | 4.79 | 1,677 | 742 | 19.11 |
|  | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 46,169 | 2,844 | 56.88 |
|  | तेलंगाना | 150 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
|  | त्रिपुरा | 7,278 | 1,136 | 11.70 | 9,723 | 13,320 | 396.46 |
|  | उत्तर प्रदेश | 3,11,109 | 1,41,151 | 4,442.17 | 7,92,254 | 7,76,750 | 26,795.54 |
|  | उत्तराखंड | 27,838 | 16,027 | 416.51 | 31,914 | 36,811 | 1,407.55 |
|  | पश्चिम बंगाल | 77,028 | 1,922 | 144.43 | 1,95,304 | 2,12,330 | 8,427.17 |
| **कुल योग**  | **25,70,009** | **11,08,929** | **28,413.79** | **35,57,494** | **38,79,285** | **1,39,459.20** |

**अनुलग्‍नक-।।**

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई) विषय पर श्री मो॰ नदीमुल हक द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 465 के उत्‍तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण**

**पीएमएमवीवाई के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 (10.12.2018 तक) के दौरान संस्‍वीकृत/निर्मुक्‍त निधि और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार एवं राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा**

**(रुपये लाखों में)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.**  | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र**  | **2017-18 (रुपये लाखों में)** | **2018-19 (10.12.2018 तक)** |
| **संस्‍वीकृत/निर्मुक्‍त निधि**  | **उपयोग की गई निधि** | **संस्‍वीकृत/निर्मुक्‍त निधि**  | **उपयोग की गई निधि** |
| 1. | अंडमान व निकोबार  | 163.08  | 37.68  | 6.00  | सूचित नहीं |
|  | आंध्र प्रदेश | 7,022.36 | 2,622.41  | 7,135.00  | सूचित नहीं |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 912.83  | 0.95 | 36.00  | सूचित नहीं |
|  | असम | 10,448.26  | 104.15 | 817.00  | सूचित नहीं |
|  | बिहार | 17,351.38 | 353.03  | 949.00  | सूचित नहीं |
|  | चंडीगढ़ | 290.41  | 110.94  | 128.65  | सूचित नहीं |
|  | छत्तीसगढ़ | 4,382.58 | 502.32  | 233.00  | सूचित नहीं |
|  | दादर व नागर हवेली | 102.62  | 8.95  | 5.00  | सूचित नहीं |
|  | दमन व दीव | 61.56  | सूचित नहीं | 3.00  | सूचित नहीं |
|  | दिल्ली | 2,008.90  | 258.80  | 153.00  | सूचित नहीं |
|  | गोवा | 168.85 | 122.96  | 13.00  | 98.56  |
|  | गुजरात | 10,186.87 | 1,664.96  | 551.00  | सूचित नहीं |
|  | हरियाणा | 4,324.30 | 817.19  | 1,881.00  | सूचित नहीं |
|  | हिमाचल प्रदेश | 1,821.64 | 445.44  | 753.48  | सूचित नहीं |
|  | जम्मू व कश्मीर | 3,137.84 | 100.46  | 171.00  | सूचित नहीं |
|  | झारखंड | 5,622.70 | सूचित नहीं | 301.00  | सूचित नहीं |
|  | कर्नाटक | 10,248.81 | 1,413.35  | 557.00  | सूचित नहीं |
|  | केरल | 5,536.64 | सूचित नहीं | 2,444.51  | सूचित नहीं |
|  | लक्षद्वीप | 27.82  | 0.00  | 1.00  | सूचित नहीं |
|  | मध्य प्रदेश | 12,320.53 | 5,248.73  | 9,581.54  | 9,310.67  |
|  | महाराष्ट्र | 12,821.10  | 3,965.69  | 1,025.00  | सूचित नहीं |
|  | मणिपुर | 1,474.07  | सूचित नहीं | 75.00  | सूचित नहीं |
|  | मेघालय | 1,110.83  | सूचित नहीं | 77.00  | सूचित नहीं |
|  | मिजोरम | 710.78  | 233.40  | 29.00  | सूचित नहीं |
|  | नागालैंड | 1,035.06  | सूचित नहीं | 52.00  | सूचित नहीं |
|  | ओडिशा | 7,143.33 | 0.03  | 383.00  | सूचित नहीं |
|  | पुद्दुचेरी | 331.68  | 8.20  | 19.00  | सूचित नहीं |
|  | पंजाब | 4,648.73 | 470.69  | 253.00  | सूचित नहीं |
|  | राजस्थान | 11,486.97 | 518.20  | 5,015.22  | सूचित नहीं |
|  | सिक्किम | 354.33  | 11.40  | 16.00  | सूचित नहीं |
|  | तमिलनाडु | 12,087.85 | सूचित नहीं | 658.00  | सूचित नहीं |
|  | तेलंगाना | 7,196.40  | सूचित नहीं | 385.00  | सूचित नहीं |
|  | त्रिपुरा | 1,845.48  | 60.98  | 96.00  | 177.14  |
|  | उत्तर प्रदेश | 33,616.64  | 3002.51  | 1,822.00  | सूचित नहीं |
|  | उत्तराखंड | 2,610.99  | 601.65  | 138.00  | सूचित नहीं |
|  | पश्चिम बंगाल | 10,245.03  | 154.52  | 1,167.42  | 3,411.55  |
| **कुल योग**  | **2,04,859.25** | **22,839.59** | **36,930.82** | **12,997.92** |